प्रेषक,

डॉ0 महेन्द्र देव,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / 7712–18 /2017–18 दिनांक: 30-1-18

विषयः **यूनिवर्सल कालेज हाथरस इगलास रोड तहसील इगलास अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916 / 15–7–9(299) / 2017 दिनांक: 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 23.01.2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
3. कर्मचारियों की सेवा शतें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
5. फीस उन्ही मदों में चार्ज किए जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थिति ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
6. राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे,संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तो में राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्वन नही किया जायेगा।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।
9. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता

सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीर्फिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अर्न्तगत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी0ए0द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा–जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि संस्था द्वारा शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–4(46)/91दिनॉकः 30–11–1991 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का समावेश सोसायटी/ट्रस्ट की नियमावली में तीन माह के अन्दर कराया जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है,तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा0(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सचिव
अलीगढ़ मण्डल ,अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या–एस0टी0/ 7712-18 /2017–18 तद् दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी,अलीगढ़।
3. संयुक्त सचिव(शिक्षा–7अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक,अलीगढ़।
6. प्रबन्धक, यूनिवर्सल कालेज हाथरस इगलास रोड तहसील इगलास अलीगढ़।

3-1-18

डा0(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सचिव
अलीगढ़ मण्डल ,अलीगढ़।